न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– **प्रभाती लाल जाट** आर.ए.एस.

अपील सं. 14/2017

अपीलान्टः–

1 सन्तप्रताप पुत्र रामचन्द्र 2 हेतराम पुत्र रामरख 3 भगतराम पुत्र देवी लाल
4 जगदीश पुत्र सुलतान राम
अकवाम नाई सा. रतनपुरा तह0 संगरिया।

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार संगरिया।
2 महेन्द्रपाल 3 गुलाबचंद 4 रमनकुमार पि0 रूपचंद
5 आशारानी पत्नी विरेन्द्र
अकवाम अग्रवाल सा. नई धानमण्डी हनुमानगढ जं.।

रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध इन्तकाल सं0 580 चक 12 एएबीएन दिनांक 10.7.2015 ।

उपस्थितः– 1 श्री देवीलाल भाम्भू अभिभाषक अपीलांट।
2 श्री लालचंद वर्मा अभिभाषक रेस्पो0 2 ता 5
3 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

–ःनिर्णयः–

दिनांकः –12.09..2018

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैंः–

– यह कि विक्रेतागण महावीर बगैरा की हिस्सा से संबंधित कृषि भूमि चक 1 एमएमके खाता ...राम आदि में थी जिसको इन्होंने पूर्व में विक्रय करके बिना हक व हिस्सा तथा बिना ...ब्जा काश्त के छदम हिस्सों के आधार पर चक 12 एसबीएन की भूमि का बैयनामा करवाया जो कि शून्य व निष्प्रभावी है जिसका राजस्व रिकार्ड में बिना जांच किये इन्तकाल दर्ज ...रना अविधिक है।

– यह कि आक्षेपित इन्तकाल कतई गलत व विधि विरूद्ध व तथ्यों की सही जांच न किये ...ने के कारण काबिल निरस्ती है। क्योंकि प्रश्नगत इन्तकाल दर्ज किये जाने से पूर्व कब्जा ... संदर्भ में कोई जांच नही की गयी है। तहसीलदार संगरिया के व पटवार हल्का को इस ...करण में अपीलार्थी व रेस्पो0 के विरूद्ध चल रहे विवाद के संदर्भ में भली भांति [illegible] ...र्थी द्वारा [illegible]

राजस्व न्यायालय व मा0 रेवेन्यू बोर्ड में चल रहे विवाद की अनदेखी करते हुए आक्षेपित इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं जो काबिल निरस्त हैं।

– कि आक्षेपित इन्तकाल दर्ज करते समय तहसीलदार संगरिया द्वारा इस ओर कोई ध्यान ही दियागया कि तथाकथित बैयनामा 24.1.08 का है तथा 8 वर्षो तक इसका नामान्तरण दर्ज क्यों नहीं करवाया गया । इस बात को पूरी तरह से नजदअंदाज किया गया , क्योंकि इससे हुई रेस्पो2 के द्वारा बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने की कार्यवाही प्रारम्भ की थी। लेकिन तथाकथित बैयनामा वर्णित भूमि मौका पर नहीं होने से रेस्पो0 का कोई कब्जा न होने से तथा विक्रेताओं के द्वारा छदम नाम के आधार पर बैयनामा करवाया गया था । जिस कारण पूर्व में नामान्तरण दर्ज नहीं हो सका। इस भूमि को लेकर राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन है । जिस पर कोई भी कार्यवसाही करने से पूर्व राजस्व मण्डल के द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। लेकिन रेस्पो0 2 ता 5 द्वारा बावजूद दावा चल रहा है। वाद में स्थगन आदेश विड्रा करते हुए नामान्तरण की कार्यवाही की है। जिस कारण आक्षेपित नामान्तरण काबिल निरस्ती है।

– कि अपीलार्थी द्वारा तथाकथित बैयनामा को वरिष्ठ सिविल न्यायधीश संगरिया की अदालत में आक्षेपित किया हुआ है जिसमें रेस्पो0 उपस्थित है तथा मा. सिविल न्यायालय के द्वारा स्थगन प्रा0पत्र पर नोटिस जारी किये हुए हैं। इसके उपरान्त भी नामान्तरण की कार्यवाही खोलकर विधिक भूल की है।

– कि रेस्पो0 2 ता 5 का प्रश्नगत भूमि पर कोई कब्जा नहीं है व न ही कोई अधिकार है। सम्पूर्ण कार्यवाही राजनैतिक दबाव के फलस्वरूप की गयी है क्योंकि पूर्व में पटवारियों द्वारा कब्जा के सदर्भ में मिथ्या रिपोर्ट देने सेक इन्कार करने के कारण तहसीलदार द्वारा सर्वप्रथम आक्षेपित रकबा क पटवारी के स्थान पर अशोक मीणा की जगह ओम प्रकाश गोदारा को लगाया गया। ओम प्रकाश गोदारा के स्थान पर जगदीश गेगन को लगाया गया। जगदीश द्वारा मिथ्या व गलत रिर्पोट देने से इनकार किया तो सुधीर गहलोत को चार्ज दिया। सुधीर गहलोत ने भी गलत रिपोर्ट देने से इनकार करने पर ओमप्रकाश वर्मा को चार्ज दिया गया। ओमप्रकाश वर्मा द्वारा तहसीलदार संगरिया से मिलकर इन्तकाल की कार्यवाही प्रारम्भ की इस कारण आक्षेपित इन्तकाल काबिल निरस्ती है।

–कि रेस्पो0 ता 5 को जिन महावीर बगैरा द्वारा बेचान दर्शाया गया है वो महावीर बगैरा फर्जी बैयनामा करवाने के जुर्म में न्यायालय एसीजेएम संगरिया से जमानत पर है उन पर 420 का मुकदमा विचाराधीन है। लेकिन तहसीलदार संगरिया द्वारा राजनैतिक दबाब वंश इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन इन्तकाल अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 की व रिकार्ड की तलबी की गयी। रेस्पो0 सं0 2 ता 5 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांटस द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया गया कि प्रश्नगत इन्तकाल जो बैयनामा के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय में विचाराधीन हैं। प्रकरण राजस्व न्यायालय व सिविल न्यायालय में लम्बित रहते हुए भी अपीलाधीन इन्तकाल दर्ज किया गया है । इसलिए अपीलाधीन इन्तकाल विधिक प्रकिया से दर्ज नहीं किया गया है अतः अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त करवाया जावे।

अभिभाषक रेस्पो0 2 ता 5 द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि अपीलाधीन इन्तकाल पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है । बैयनामा करवाते समय ही रेस्पो0 को विक्रेतागण ने संभला दिया था । जब तक पंजीबद्ध बैयनामा को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता तब तक अपीलाधीन इन्तकाल निरस्त नहीं किया जा सकता । इसलिए अपील अपीलांटस निरस्त फरमायी जावे। बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 2003 पेज 276,आरआरटी 2003(1) पेज 293, आरआरडी 2007 पेज 26, आरबीजे 2003 पेज 305, आरआरडी 2007 पेज 391, आरआरडी 2007 पेज 723,आरआरटी 2003(2)पेज 1046 प्रस्तुत किये गये।

राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि अपीलाधीन इन्तकाल पंजीबद्ध बैयनामा के आधार पर दर्ज किया गया है जो विधिवत है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया गया । नामान्तकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही की श्रेणी में आती है। घोषणात्मक वाद में पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा उपरान्त पारित निर्णय के अनुसार कार्यवाही होनी है। साथ ही पंजीबद्ध बैयनामा को जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से निर्णित नहीं कराया जाता है तब तक पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर दर्ज इन्तकाल को निरस्त किया जाना उचित नहीं है। चूंकि प्रश्नगत आराजी के संबंध में वाद सहायक कलक्टर हनुमानगढ के न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस वाद में ही अपीलांट व रेस्पों0 के अधिकारों की घोषणा होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। प्रश्नगत आराजी के संबंध में वाद बाहुल्यता न बढ़े इसके लिए उभय पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ में विचाराधीन वाद सुलतानराम बनाम उदाराम आदि के निर्णय तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रभाती लाल जाट)
आर.ए.एस.
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official